न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/08/2024	2024/10	31.01.2024	15.01.2025

1. ईश्वरसिंह पुत्र इन्दरसिंह पोत्र मक्खनसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी मुबारिकपुर हाल एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड मूंगस्का अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. हरजीत कौर पुत्री उदमसिंह पत्नी जसपालसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी 230 आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।
2. हरमीत कौर उर्फ पूनम पुत्री उदमसिंह पत्नी प्रीतपालसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी 2081—ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 6, करनाल रूरल पार्ट—1 हरियाणा।
3. हरनेकसिंह पुत्र उदमसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी नंगली मुबारिकपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर राज०।

——असल रेस्पाडेन्ट्स

4. दलजीतसिंह पुत्र स्व० बलवीरसिंह पोत्र इन्दरसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी दाउदपुर अलवर।
5. कुलवंत कौर पत्नी स्व० बलवीरसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी दाउदपुर अलवर।
6. गुरप्रीतकौर पुत्री स्व० बलवीरसिंह पोत्री स्व० इन्दरसिंह पत्नी पुरूषोतम सिंह निवासी रोहिणी दिल्ली।
7. हरबंशसिंह पुत्र स्व इन्दरसिंह पोत्र मक्खनसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी मुबारिकपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर राज०।

——तरतीवी रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 28 निर्णय दिनांक 30.01.2008 ग्राम नंगली मुबारिकपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपी0
03—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील रेस्पो0

निर्णय

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 28 निर्णय दिनांक 30.01.2008 ग्राम ग्राम नंगली मुबारिकपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर तहसीलदार रामगढ हाल नौगावां द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ हाल नौगावां का निर्णय दिनांक 30—01—2008 बाबत इंतकाल संख्या 28 वाके ग्राम नंगली गुबारिकपुर विधि विरूद्ध, न्यायिक प्रक्रिया एंव तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीदार रामगढ के निर्णय दिनांक 30—01—2008 बाबत इंतकाल संख्या 28 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 01—01—2024 को हुई जब पटवारी हल्का नंगली मुबारिकपुर से राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 13, 3, 8, 9 वाके ग्राम नंगली मुबारिकपुर की नकल लेने गई तो पटवारी हल्का ने विवादित आराजी का हक त्याग पत्र रेस्पाडेन्ट संख्या 3 के द्वारा अपना हिस्सा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 को हस्तांतरित करने को कहा और मृतक कुलवंत कौर की विरासत का इंतकाल संख्या 122 रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ला.3 के नाम ग्राम पंचायत मुबारिकपुर द्वारा दिनांक 22—07—2021 को स्वीकार होना बताया तो इसी रोज अपीलान्ट ने तहसील

अति. जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नौगांवा में जाकर रिकार्ड का अवलोकन किया तो इंतकाल संख्या 28 दिनांक 30–01–2008 को उदमसिंह मृतक की विरासत का इंतकाल रेस्पाडेन्ट के नाम स्वीकार होने का इन्द्राज मिला जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 01–01–2024 को नकल इंतकाल संख्या 28 व 122 तथा अन्य राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो उसी रोज सांयकाल अपीलान्ट को नकल प्राप्त हो गयी। राजस्व रिकार्ड व इंतकाल की नकल वकीलो को दिखा कर कानूनी राय ली । दिनांक 30–01–2008 से दिनांक 01–01–2024 का समय इन्तकाल की जानकारी नही होने के कारण अज्ञानता में व्यतीत हुआ है, को माफ करने के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है कि जानकारी की तारीख से अपील को अंदर अवधि शुमार किया जाये। विवादित आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की है जिसमें उसका हित हैं। विवादित आराजी बंदोवस्त सम्वत् 2020 से पहले अपीलान्ट के दादा मक्खनसिंह पुत्र दयालसिंह ब्राह्मण सिक्ख के नाम राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त में थी तथा अपीलान्ट का पिता इन्दरसिंह भी दादा मक्खनसिंह के साथ काशत करता था। बंदोवस्त सम्वत् 2020 में कर्मचारी बंदोवस्त विभाग ने उदयसिंह पुत्र जगतसिंह के नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश कर दिया। उसको पूर्व रिकार्ड नाम का ही अमल करना चाहिए था। जिसकी दुरूस्ती का वाद न्यायालय में जेर तजवीज है। रेस्पाडेन्ट अपने आपको उधमसिंह के वारिस कह कर आये है। अधिनस्थ न्यायालय को राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराये बिना इंतकाल संख्या 28 से अपीलान्टान के अधिकारो पर विवादित आराजी पर विपरीत प्रभाव पडा है। इसलिए अपीलान्ट को अपील पेश करने की इजाजत के लिए प्रार्थनापत्र धारा 96 जा.दी० भी प्रस्तुत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में अपीलान्ट ने दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें रिकार्ड और मौके की यथावत स्थिति रखने के स्टे आदेश था, उसके बावजूद भी रेस्पाडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग कर न्यायालय के आदेश की अवमानना की है और हक त्याग से पहले इंतकाल संख्या 122 स्वीकार किया है, जो भी निरस्तनीय है। इसलिए भी इंतकाल निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल संख्या 28 दर्ज व स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया है आराजी मुतनाजा उदयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में थी, उदमसिंह के नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने यह जानकारी नही की कि विवादित आराजी उदयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में थी या उदमसिंह के नाम थी। यह भी जांच नही की कि रेस्पाडेन्ट का पिता उदयसिंह था या उदमसिंह था जो जांच का विषय था। इसलिए भी इंतकाल संख्या 28 निरस्त योग्य है। इंतकाल संख्या 122 की अलग से सक्षम न्यायालय में अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सरपंच के सजरे के अनुसार अपना आदेश पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए थी दौराने कैम्प बिला जांच के एक ही दिन में न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा मौजूद है। रेस्पाडेन्टान उदमसिंह की पुत्र एवं लडकियां नही है। सत्य यह है कि रेस्पाडेन्टान उदयसिंह के पुत्र और पुत्री है और कुलवंत कौर के पति का नाम भी उदयसिंह है उदमसिंह नहीं है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायायल ने गौर नही किया इसलिए इंतकाल खाारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 28 दिनांक 30–01–2008 द्वारा तहसीलदार बाबत आराजी खसरा नम्बर 3, 8, 9, 13 वाके ग्राम नंगली मुबारिकपुर तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर निरस्त फरमाया जाये।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में अवगत कराया कि वकील अपीलाण्ट का कथन कि उपरोक्त विवादित इंतकाल की जानकारी हमें 01.01.2024 जबकि अपी0 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दावा बाबत इस्तकारारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्मईम्तनाई उनवान ईशरसिंह बनाम हरजीतकौर वगै0 दि0 12.10.2021 से विचाराधीन है। अतः अपी0 का यह कथन कि अपी0 को इंतकाल की जानकारी दि0 01.01.2024 को हुई,

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

गलत है। अपी0 को उपरोक्त की जानकारी 2021 से है, अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य नहीं है। तह0 रामगढ द्वारा इन्तकाल उदमसिंह के वारिसानों के नाम सही दर्ज किया गया है। उदमसिंह अथवा उदयसिंह दावे में तय होगा, इंतकाल में तय नहीं होगा। इंतकाल में तहसीलदार रामगढ हाल नौगावां द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है। मालिकाना हक रेग्यूलर सूट से तय होगा। सन् 2008 को ही इंतकाल दर्ज हो गया, रेग्यूलर सूट के चलते इंतकाल की अपील .चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पो0 द्वारा RRT 2024(1) 693 (S.C.), RRT 2024(1) 653 (S.C.), RRT 2024(1) 207 (R.B.), RRT 2024(1) 1227 (R.B.), RRT 2017(2) 1349, RRT 2011(2) 1265 पेश की गईं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2008 के विरूद्व दिनांक 18.01.2024 को पेश की गयी है जो करीब 15 वर्ष 11 माह 19 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अपी0 का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पर बंदोबस्त सम्वत् 2020 से पहले अपीलान्ट के दादा मक्खनसिंह पुत्र दयालसिंह ब्राह्मण सिक्ख के नाम राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त में थी तथा अपीलान्ट का पिता इन्दरसिंह अपने दादा मक्खनसिंह के साथ काशत करता था। अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत सरपंच के सजरे के अनुसार सत्यता की जांच किए बिना आदेश पारित किया है। अपी0 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दावा बाबत इस्तकारारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्मईम्तनाई उनवान ईशरसिंह बनाम हरजीतकौर वगै0 किया गया है, जो अधी0 न्याया0 में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ (भू.अ.) हाल नौगावां द्वारा दर्ज व स्वीकार इन्तकाल संख्या 28 दि0 30.01.2008 विधिक कानूनों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित नहीं है, विधिविरूद्व है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण सं. 28 आदेश दिनांक 30.01.2008 विधिविरूद्व होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ हाल नौगावां का नामान्तकरण संख्या 28 निर्णय दिनांक 30.01.2008 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ हाल नौगांवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अभयपक्ष को साक्ष्य/सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)